उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) अधिनियम, 1972

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6, 1972)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 6 जनवरी 1972 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 10 जनवरी 1972 ई० की बैठक में स्वीकृत किया।]

['भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 19 जनवरी, 1972 ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 22 जनवरी, 1972 ई० को प्रकाशित हुआ।]

संविधान के अनुच्छेद 47 में उल्लिखित राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के अनुसरण में मद्यनिषेध के प्रसार तथा प्रवर्तन को सुकर बनाने के उद्देश्य से यूनाइटेड प्राविंसेज एक्साइज ऐक्ट, 1910 का अग्रेतर संशोधन करने, तथा उससे सम्बद्ध विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बाईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1.—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) अधिनियम, 1972 कहलायेगा।

धारा 14 का निकाला जाना

2.—यूनाइटेड प्राविन्सेज एक्साइज ऐक्ट, 1910, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 14 निकाल दी जाय।

धारा 20 का संशोधन

3.—मूल अधिनियम की धारा 20 में, उपधारा (4) निकाल दी जाय।

धारा 20-ए और 20-बी का निकाला जाना

4.—मूल अधिनियम की धारा 20-ए और 20-बी निकाल दी जाय।

नये अध्याय 6-क का बढ़ाया जाना

5.—मूल अधिनियम के अध्याय 6 के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:—

"अध्याय 6-क—मद्यनिषेध के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध

मादक वस्तुओं का आयात, निर्यात, परिवहन करने या कब्जे में रखने का निषेध

37-क(1).—राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा—

(क) उत्तर प्रदेश या उसके किसी भाग में अथवा वहां से किसी मादक वस्तु के आयात या निर्यात को निषिद्ध कर सकती है, या

(ख) किसी मादक वस्तु के परिवहन को निषिद्ध कर सकती है।

(2) धारा 20 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा उत्तर प्रदेश या उसके किसी निर्दिष्ट क्षेत्र या क्षेत्रों में किसी व्यक्ति अथवा वर्ग विशेष द्वारा या, ऐसे अपवादों, यदि कोई हों, जो, अधिसूचना में निर्दिष्ट किये जायं, के अधीन रहते हुए, सभी व्यक्तियों द्वारा किसी मादक वस्तु को या तो अप्रतिबद्ध रूप में या ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो अधिसूचना में निर्दिष्ट की जायं, कब्जे में रखने का निषेध कर सकती है।

[उद्देश्य और कारणों के लिए कृपया दिनांक 6 जनवरी, 1972 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिये।]

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी मादक वस्तु के आयात, निर्यात या परिवहन निषिद्ध करने की राज्य सरकार की शक्ति का और उपधारा (2) के अधीन किसी मादक व को कब्जे में रखने को निषिद्ध करने की उसकी शक्ति का प्रयोग राज्य में मद्यनिषेध का क्रमिक प्र करने की नीति के अनुसरण में किया जा सकता है, और निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए सम समय पर विभिन्न क्षेत्रों का तदर्थ चयन किया जा सकता है :—

(क) तीर्थ स्थान, विद्या केन्द्र या औद्योगिक क्षेत्र के रूप में किसी क्षेत्र की विशेष

(ख) स्थानीय निवासियों की सामान्य आर्थिक स्थिति, जिसके अन्तर्गत उन आहार पुष्टि-तल और जीवन स्तर भी हैं,

(ग) स्थानीय जन-मत, और

(घ) कोई अन्य संगत तथ्य जो राज्य सरकार की राय में लोक हित में सारवान हो;

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा जिस राज्य सरकार को अपने आदेश में उन तथ्यों को जिनके आधार पर कोई विशिष्ट क्षेत्र मद्य निषेध ला करने के लिए किसी समय चुना जाय, उल्लिखित करना अपेक्षित हो।

(4) यदि सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश या उसके किसी भाग (जिसे आगे इस धारा में मद्यनिषे क्षेत्र कहा गया है) के सम्बन्ध में उक्त नीति के अनुसरण में उपधारा (2) के अधीन कोई अधि सूचना जारी की जाय तो मद्यनिषेध क्षेत्र के सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना या अप्रतिबद्ध रूप में अथवा ऐसे अपवादों या शर्तों के अधीन रहते हुए जो अधिसूचना में निर्दिष्ट जाय, जारी की जा सकती है।

(5) किसी मद्य निषेध क्षेत्र के सम्बन्ध में राज्य सरकार, या तो नियमों द्वारा अथवा सामा या विशेष आदेश द्वारा उपधारा (1) के अधीन या उपधारा (2) के अधीन अधिसूचना में उल्लि मादक वस्तुओं को या ऐसी मादक वस्तुओं में से किसी को निम्नलिखित द्वारा या उनके प्रयोजनों लिए कब्जे में रखने, उनका आयात, निर्यात या परिवहन करने के सम्बन्ध में कोई छूट दे सकती या शिथिलीकरण कर सकती है :—

(क) प्रतिरक्षा सेवाओं के सदस्य,

(ख) मद्य निषेध क्षेत्र में आने वाले या निवास करने वाले विदेशी,

(ग) मद्य निषेध क्षेत्र से गुजरने वाले यात्री,

(घ) व्यसनी (केवल गांजा की दशा में) और अन्य व्यक्ति जिन्हें स्वास्थ्य के आधा पर कोई मादक वस्तु अपेक्षित हो,

(ङ) धारा 17, 18, 21 और 24 के अधीन लाइसेन्स ग्रहण करने वाले व्यक्ति

(च) रेल, सड़क या वायुयान द्वारा मद्यनिषेध क्षेत्र से, को या होकर गुजरने वा परेषण,

(छ) औद्योगिक, वैज्ञानिक, शैक्षिक, औषधीय या धार्मिक प्रयोजन।

(6) किसी ऐसी छूट या शिथिलीकरण के सम्बन्ध में जो उपधारा (5) के अधीन दी जा राज्य सरकार या तो नियमों अथवा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, ऐसे प्राधिकारी द्वारा, निर्दिष्ट किया जाय, पास या परमिट दिये जाने की व्यवस्था कर सकती है।

(7) उप धारा (4) में अभिदिष्ट अधिसूचना जारी कर दिये जाने पर, इस अधिनियम अधीन लाइसेन्स देने वाला प्राधिकारी, लाइसेन्स को, जहां तक उसका सम्बन्ध मद्य-निषेध क्षेत्र है, बिना नोटिस तुरन्त निरस्त कर सकता है, और वह तदुपरान्त लाइसेन्स की असमाप्त अवधि सम्बन्ध में देय शुल्क की धनराशि के बराबर धनराशि की छूट देगा, और उसके सम्बन्ध में ला सेन्सधारी द्वारा अग्रिम रूप से दिये गये किसी शुल्क या जमा की गई धनराशि को, उसमें से रा सरकार को देय धनराशि को, यदि कोई हो, घटा कर लौटा देगा, किन्तु लाइसेन्सधारी को निरसन के सम्बन्ध में धारा 35 में दी गई किसी बात के होते हुए भी कोई प्रतिकर देय होगा।

(8) जब उपधारा (7) के अधीन कोई लाइसेन्स निरस्त किया जाय तो लाइसेन्सधा अपने कब्जे की मादक वस्तुओं का निस्तारण उस प्रकार करेगा जैसा राज्य सरकार या आबका आयुक्त (एक्साइज कमिश्नर) सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे।"

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 21, 1971 का निरसन

6—उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) अध्यादेश, 1971 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता

पी०एम०ओ०पी०—ए०पी० 51 जनरल (लेग)—1972—1,859+50 (मे०)।

THE UTTAR PRADESH EXCISE (AMENDMENT) ACT, 1972

(U. P. Act No. 6 of 1972)

[**Authoritative English Text of the Uttar Pradesh Excise (Sanshodhan) Adhiniyam, 1972 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 6, 1972).*]

An

ACT

further to amend the United Provinces Excise Act, 1910, with a view to facilitating the extension and enforcement of Prohibition in pursuance of the directive principle of State policy enshrined in Article 47 of the Constitution, and to provide for matters connected therewith.

It is hereby enacted in the Twenty-second Year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Excise (Amendment) Act, 1972.

2. Section 14 of the United Provinces Excise Act, 1910, hereinafter referred to as the principal Act, shall be *omitted.*

3. In section 20 of the principal Act, sub-section (4) shall be *omitted.*

4. Sections 20-A and 20-B of the principal Act shall be *omitted.*

5. *After* Chapter VI of the principal Act, the following Chapter shall be *inserted*, namely,—

"Chapter VI-A. Special provisions regarding Prohibition

37-A. (1) The State Government may by notification—

Prohibition of import, export, transport or possession of intoxicants.

(*a*) prohibit the import or export of any intoxicant into or from the Uttar Pradesh or any part thereof ; or

(*b*) prohibit the transport of any intoxicant.

(2) Without prejudice to the provisions of section 20, the State Government may, by notification, prohibit the possession by any person or class of persons or subject to such exceptions, if any, as may be specified in the notification, by all persons in Uttar Pradesh or in any specified area or areas thereof, of any intoxicant either absolutely or subject to such conditions as may be specified in the notification.

(3) The power of the State Government under sub-section (1) to prohibit the import, export or transport of any intoxicant and its power under sub-section (2) to prohibit the possession of any intoxicant may be exercised in pursuance of the policy of gradual extension of prohibition in the State, and different areas may from time to time be selected in that behalf after taking into account—

(*a*) the character of an area as a place of pilgrimage, a seat of learning or an industrial area ;

(*b*) the general economic condition of the local population, including their level of nutrition and standard of living ;

(*c*) the local public opinion ; and

(*For Statement of Objects and Reasons, please *see Uttar Pradesh Gazette Extraordinary*, dated January 6, 1972).

(Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on January 6, 1972 and by the Uttar Pradesh Legislative Council on January 10, 1972.)

(Received the Assent of the Governor on January 19, 1972, under Article 200 of the Constitution of India and was published in the *Uttar Pradesh Gazette Extraordinary*, dated January 22, 1972).

(*d*) any other relevant factor which in the opinion of the State Government is material in the public interest :

Provided that nothing in this sub-section shall be construed to require the State Government to recite in its order the considerations on the basis of which a particular area is selected at any time for the enforcement of prohibition.

(4) Where a notification is issued under sub-section (2) in pursuance of the said policy in respect of the whole of Uttar Pradesh or any area thereof (hereinafter in this section referred to as the prohibition area) a notification under sub-section (1) in respect of the prohibition area may be issued either absolutely or subject to such exceptions or conditions as may be specified in the notification.

(5) In relation to any prohibition area, the State Government may, either by rules or by general or special order, make any exemption or relaxation in respect of the possession, import, export or transport of the intoxicants mentioned in the notification under sub-section (1) or under sub-section (2) or any of such intoxicants by or for purposes of—

(*a*) members of the defence services ;

(*b*) foreigners visiting or residing in the prohibition area ;

(*c*) travellers through the prohibition area ;

(*d*) addicts (in the case of *ganja* only), and others ; requiring any intoxicant on grounds of health ;

(*e*) persons holding licences under sections 17, 18, 21 and 24 ;

(*f*) consignments from, to, or passing through the prohibition area by rail, road or air ;

(*g*) industrial, scientific, educational, medicinal or religious purposes.

(6) In relation to any exemption or relaxation that may be made under sub-section (5), the State Government may either by rules or by general or special order, provide for the grant of pass or permit by such authority as may be specified.

(7) Upon the issue of a notification referred to in sub-section (4), the authority granting a licence under this Act may in so far as it relates to a prohibition area cancel it forthwith without notice, and it shall thereupon remit a sum equal to the amount of the fee payable in respect of the unexpired period of the licence, and refund any fee paid in advance or deposit made by the licensee in respect thereof, less the amount, if any due to the State Government, but no compensation shall in respect of such cancellation be payable to the licensee, anything contained in section 35 notwithstanding.

(8) Where any licence is cancelled under sub-section (7), the licensee shall dispose of the intoxicants in his possession in such manner as the State Government or the Excise Commissioner may by general or special order direct."

Repeal of Uttar Pradesh Ordinance no. 21 of 1971.

6. The Uttar Pradesh Excise (Amendment) Ordinance, 1971, is hereby repealed.

PSUP—A. P. 52 Genl. (Leg.)—1972. 1,877+50 (Mech.)